

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1161/2020

जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री श्रवण मीणा, निवासी तलाईवाली ढाणी, ग्राम खोरी, लुनियावास,  
थाना खोनागोरियान, जिला जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. पीपी के माध्यम से राजस्थान सरकार।
2. खनन विभाग, राज्य सरकार, उधोग भवन, जयपुर।

----प्रत्यर्थागण

से संबद्ध

एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1875/2016  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4310/2016  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 3698/2017  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 3699/2017  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 275/2018  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6262/2018  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2177/2019  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2183/2019  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 3119/2019  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 3534/2019  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4777/2019  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 540/2020  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 541/2020  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1868/2020  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2730/2020  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 3114/2020



























































एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6960/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7837/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4973/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6499/2020  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 860/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1326/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1327/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1328/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4592/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4744/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6017/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6656/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7161/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7545/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7531/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7738/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7874/2021  
एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7880/2021

---

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : संदीप जैन, प्रवीण कुमार जैन, गिर्राज पी. शर्मा, सुरेश कुमार ढेंवाल, केके छावल, अनिल उपमन, भरत यादव, आईपी जाखड़, हेमंत कुमार शर्मा, कुलदीप कुमार शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, अतुल कुमार जैन, आशीष नागरवाल, पल्लव चौधरी, डीडी खंडेलवाल, रिपु दमन सिंह नरुका, पुष्पेंद्र कुमार पांडेय, प्रवीण कुमार जैन, मुकेश कुमार मीणा, रोहित खंडेलवाल, अब्दुल वाहिद नकवी, विनोद कुमार शर्मा, लता शर्मा, दिलीप सिंह, धर्मेंद्र गुर्जर, दीपक खंडेनवाल, पवन कुमार वर्मा, अरविंद शर्मा, रघुराज सिंह राजावत, संग्राम सिंह शेखावत, जितेशु चुघ, श्याम बिहारी गौतम, श्याम बिहारी गौतम, आदित्य मिश्रा, दिनेश कुमार गर्ग, एस गहराना, कृष्ण चंद्र शर्मा, अमिताभ विजयवर्गीय, विशिवास सैनी, सतीश कुमार खंडेलवाल, तरुण जैन, अमित दाधीच, बृजेश कुमार भारद्वाज, राजेंद्र प्रसाद यादव, धीरज त्रिपाठी, उमाश आदि मौजूद रहे।

माहेश्वरी, प्रहलाद शर्मा, राम रख शर्मा, राजेंद्र सिंह तंवर, एमएस चौधरी, अजीत सिंह देवांदा, शिवराज चौहान, चमन सिंह, एसएन मीणा, मोहम्मद असलम, विजय सिंह यादव, नवाब ऐ राठौर, सांवरमल, गिरीश खंडेलवाल, किरोदी लाल मीणा, हरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह राजावत, सुरेंद्र सिंह राजावत, मुकेश कुमार गोयल, हरि कृष्ण शर्मा, रामनिवास मीणा, मोती लाल शर्मा, मनीष के शर्मा, तिमन सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, अवधेश कुमार पुरोहित, दिलीप सिंह कुर्का, खुर्शीद अहमद खान, जितेंद्र चौधरी, पवन शर्मा, बीएल धाकड़, अमन अली, सुमित खंडेलवाल, रविंद्र कुमार पालीवाल आदि मौजूद थे। एच.सी.मौर्य, टीका राम मीणा, महेंद्र कुमार नाहरवाल, कुमुद सिंह, भीम सिंह डाबला, संग्राम सिंह शेखावत, अजीत सिंह देवांदा, राजेंद्र यादव, लाखन सिंह मीणा, आरबी शर्मा, केके बैरवा, जगदीश सिंह चौहान, चंदरपाल सिंह सुजावत आदि मौजूद थे।

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री एम.एस. सिंघवी (वरिष्ठ अधिवक्ता) अधिवक्ता जनरल, श्री शीतांशु शर्मा द्वारा सहायता प्राप्त। श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता। श्री एफ.आर. मीणा, लोक अभियोजक।

---

### माननीय न्यायमूर्ति पंकज भंडारी

#### रिपोर्टबल

#### आदेश

01/12/2021

1. किसी भी याचिका में रजिस्ट्री द्वारा इंगित दोषों को माफ कर दिया जाता है।
2. मामलों के वर्तमान समूह का पहला भाग निम्नलिखित से संबंधित है:
  - क. आईपीसी की धारा 379 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 (इसके बाद "1957 के अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहन;
  - ख. मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त किए गए वाहन;
  - ग. पुलिस अधिनियम और राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017 की

धारा 38 (इसके बाद "2017 के नियम" के रूप में संदर्भित) (इसके बाद "मामलों की पहली श्रेणी" के रूप में संदर्भित) के तहत जब्त किए गए वाहन।

3. मामलों के वर्तमान समूह का दूसरा भाग उन मामलों से संबंधित है जहां वाहनों को अधिनियम की धारा 4/21 के तहत खनन विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है और 2017 के नियमों के नियम 54 और 60 के अनुसार निपटाया जा रहा है (इसके बाद "मामलों की दूसरी श्रेणी" के रूप में संदर्भित)।
4. याचिकाकर्तागण ने सीआरपीसी की धारा 451 और 457 के तहत वाहनों की रिहाई के लिए निचली अदालत के समक्ष संपर्क और प्रार्थना की थी, लेकिन इसे अपास्त कर दिया गया था। इसके बाद कुछ याचिकाकर्तागण ने संशोधन के लिए प्रार्थना दी, जिसे पुनरीक्षण न्यायालय ने भी अपास्त कर दिया।
5. पिछली तारीख पर याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता को सुना गया। समानता का प्रश्न न्यायालय के समक्ष आया, क्योंकि खनन विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों को अपराध को संयोजित करने के बाद और कंपाउंडिंग शुल्क, खनिज की लागत और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (इसके बाद "एनजीटी" के रूप में संदर्भित) द्वारा लगाए गए जुर्माने को एकत्र करने के बाद रिहा किया जा रहा था, जबकि पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहन, जमानत और बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद ही रिहा रिहा किए जा रहे थे। बाद के मामले में, वाहनों को छोड़ते समय एनजीटी के निर्देशों के अनुसार खनिज और जुर्माना की कोई लागत नहीं लगाई गई थी।
6. इस न्यायालय का विचार था कि जब एक ही खदान से शुरू होने वाले दो वाहन, जिनमें एक ही सामग्री है, जिसका वजन समान है, को जब्त कर लिया जाता है, एक पुलिस द्वारा और दूसरा खनन विभाग द्वारा, तो गलत काम करने वालों के साथ समान व्यवहार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय ने विद्वान महाधिवक्ता से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया। विद्वान महाधिवक्ता ने राज्य से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा और अपने प्रभाव का उपयोग करने के बाद, उन्होंने दोनों श्रेणियों के गलत काम करने वालों के साथ समान व्यवहार करने के लिए राज्य की मंजूरी प्रस्तुत की।

7. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 1957 के अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध के लिए, उचित सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की जानी चाहिए और इसके अभाव में, न्यायालय को 1957 के अधिनियम की धारा 22 के तहत संज्ञान लेने से रोक दिया जाता है। यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि पुलिस ने वाहनों को जब्त कर लिया है और पुलिस 1957 के अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए 1957 के अधिनियम की धारा 22 के तहत कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। याचिकाकर्तागण की ओर से, *इमरान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य: 2019 की धारा 482 संख्या 16700* में निर्णय पर भरोसा किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 10.7.2019 को तय किए गए 2019 के आवेदन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस अधिनियम के तहत और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध की जांच करने में सक्षम है, लेकिन न्यायालय केवल तभी संज्ञान ले सकती है जब अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत प्रस्तुत की जाती है।

8. आगे यह तर्क दिया जाता है कि *सुंदरभाई अंबालाल देसाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य (2002) 10 एससीसी 283* में निर्णय को देखते हुए वाहनों को रोका नहीं जा सकता है और उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्तागण पर जुर्माना तभी लगाया जा सकता है जब उन्हें दोषी ठहराया जाए। न्यायालय के समक्ष की गई प्रार्थना यह है कि वाहनों को केवल जमानत देने पर ही रिहा किया जाना चाहिए।

9. यह भी तर्क दिया गया है कि कुछ याचिकाकर्ता अपराध को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं और मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं और इसलिए, उनके वाहनों को केवल जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाना चाहिए।

10. राज्य की ओर से प्रस्तुत महाअधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्थान राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और याचिकाकर्ता, जो अवैध खनन में शामिल हैं, उन व्यक्तियों के जीवन की भी परवाह नहीं करते हैं जो अवैध खनन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

11. यह तर्क दिया जाता है कि 2017 के नियमों के नियम 54 के प्रावधान के अनुसार, कंपाउंडिंग शुल्क निर्धारित किया गया है और इसमें आगे प्रावधान है कि खनिज की लागत

को किराए, रॉयल्टी, पर्यावरणीय क्षरण के लिए मुआवजे और वैध प्राधिकरण के बिना कब्जा की गई भूमि पर लगाए गए कर आदि के बदले रॉयल्टी के दस गुना के रूप में लिया जाना है। भुगतान भी किया जाना आवश्यक है। यह तर्क दिया गया है कि इसके अलावा, एनजीटी ने राज्य प्राधिकरणों को एक विशेष राशि लेने का भी निर्देश दिया है।

12. महाअधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्चतम स्तर पर राज्य ने निर्णय लिया है कि अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। खनन विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहन और पुलिस विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों को दोनों मामलों में धारा 379 आईपीसी के साथ-साथ 1957 के अधिनियम के तहत अपराध की कंपाउंडिंग करके छोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि वे कंपाउंडिंग शुल्क, खनिज की लागत और एनजीटी द्वारा निर्धारित राशि जमा करें।

13. यह भी तर्क दिया गया है कि 1957 का अधिनियम पुलिस को वाहनों को जब्त करने और 1957 के अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध की जांच करने से नहीं रोकता है। 1957 के अधिनियम की धारा 22 के तहत एकमात्र प्रतिबंध न्यायालय पर किसी अपराध का संज्ञान लेने से है जब तक कि अधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। यह तर्क दिया जाता है कि उपयुक्त सरकार किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत कर सकती है और यहां तक कि इस संबंध में एक पुलिस अधिकारी को भी शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

14. महाअधिवक्ता ने *बलविंदर सिंह बनाम पंजाब सरकार और अन्य*, सीआरएम-एम-14956-2020 और अन्य संबंधित मामलों में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया था कि 1957 के अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा मामले की जांच करने पर कोई रोक नहीं है। *जयंत आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य आपराधिक अपील संख्या 824-825/2020* में उच्चतम न्यायालय द्वारा 03.12.2020 को दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है:

"हालांकि, हमारे उपरोक्त निष्कर्ष एमएमडीआर अधिनियम की [धारा 23क](#)

के प्रावधानों पर विचार कर रहे हैं, जैसा कि आज है। यह सच हो सकता

है कि उल्लंघनकर्ताओं को [एमएमडीआर अधिनियम](#) या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों को संयोजित करने की अनुमति देने से, राज्य राजस्व प्राप्त कर सकता है और यह इस सिद्धांत पर होगा कि नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को नुकसान की भरपाई करनी होगी और पर्यावरण को नुकसान के मामले में भुगतान करने के लिए प्रदूषकों के सिद्धांत की तरह दंड का भुगतान करना होगा। तथापि, प्रकृति को बड़े पैमाने पर हो रही क्षति को देखते हुए और जैसा कि संजय (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और माना गया है, [एमएमडीआर अधिनियम](#) और नियमों की नीति और उद्देश्य गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन को बहाल करने और प्रकृति को होने वाले नुकसान को रोकने और उपर्युक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने की बाध्यकारी आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, और जब इस तरह के उल्लंघन बढ़ रहे हैं और प्रकृति और पृथ्वी को गंभीर नुकसान होता है और यह भूजल स्तर आदि को भी प्रभावित करता है और यह गंभीर क्षति का कारण बनता है जैसा कि इस न्यायालय ने संजय (सुप्रा.) के मामले में देखा है, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, तो हमारी राय है कि उल्लंघनकर्ताओं को केवल दंड के भुगतान पर मुक्त होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कुछ कड़े प्रावधान होने चाहिए जो निवारक प्रभाव डाल सकते हैं ताकि उल्लंघनकर्ता इस तरह के अपराध करने से पहले और पृथ्वी और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से पहले दो बार सोच सकें।

15. मैंने दलीलों पर विचार किया है और कानून के प्रावधान के साथ-साथ उद्धृत निर्णयों का भी अध्ययन किया है।

16. अधिकांश मामलों में, निचली अदालत के समक्ष आवेदन दायर किए गए थे, जिसमें धारा 451 और 457 सीआरपीसी के तहत निचली अदालत द्वारा वाहन की रिहाई को अपास्त कर दिया गया था। सीआरपीसी की धारा 457 (2) के अनुसार, मजिस्ट्रेट ऐसी शर्तों पर संपत्ति देने का आदेश दे सकता है जो मजिस्ट्रेट उचित समझता है।

17. मामलों की पहली श्रेणी में, पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्ती की गई थी और वाहनों की रिहाई या वितरण से संबंधित सीआरपीसी की धारा 451 और धारा 457 सीआरपीसी के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लिया गया था। न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि प्रथम श्रेणी के मामलों में न तो एनजीटी द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाया जा रहा है और न ही खनिज की कोई लागत वसूल की जा रही है।

18. उच्चतम न्यायालय ने *जयंत आदि (सुप्रा.)* में टिप्पणी की है कि पारिस्थितिक असंतुलन को बहाल करना और प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकना राज्य का कर्तव्य है। यदि वाहन केवल जमानत लेने पर छोड़ा जाता है, तो यह अवैध खनन को बढ़ावा देगा।

19. बड़े पैमाने पर अवैध खनन और पारिस्थितिक असंतुलन के साथ-साथ इसके परिणामस्वरूप प्रकृति को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए और उन व्यक्तियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए जिनके वाहन खनन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा जब्त किए जाते हैं, यह न्यायालय मामलों की पहली श्रेणी से संबंधित आवेदनों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाहनों की रिहाई के लिए आवेदनों की अनुमति देना उचित समझता है:

- i) याचिकाकर्तागण को कंपाउंडिंग फीस, एनजीटी द्वारा निर्धारित मुआवजा और खनिज की लागत खनन विभाग के पास जमा करनी होगी।
- ii) याचिकाकर्ता संबंधित न्यायालय के समक्ष ऐसी जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।
- iii) याचिकाकर्तागण को निचली अदालत में एक वचन देना होगा कि भविष्य में वे किसी भी अवैध खनन और/या खनिज के अवैध परिवहन में शामिल नहीं होंगे और यदि भविष्य में, उच्चतम न्यायालय कोई शर्त लगाता है, तो वे इसका पालन करेंगे।

यदि उपरोक्त शर्तों को पूरा किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय कार्यवाही को छोड़ देगा और रिहाई आदेश जारी करेगा। आपराधिक मामले में कार्यवाही का निपटान किया जाएगा।

20. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता की यह दलील कि वे मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं और वाहनों की रिहाई के लिए उनके विरुद्ध कोई शर्त नहीं लगाई जानी

चाहिए और वाहनों को केवल जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अदालत यह देखने के लिए बाध्य है कि समानता की जाए।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मामला लड़ना चाहता है, तो भी वाहन केवल एनजीटी द्वारा निर्धारित मुआवजे और खनिज की लागत जमा करने पर ही जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में, चूंकि अपराध को संयोजित नहीं किया जा रहा है, इसलिए शमन शुल्क एकत्र नहीं किया जाएगा और आपराधिक मामला आगे बढ़ेगा।

22. इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय मामलों में, एक एफआईआर में, कई वाहन जब्त किए जाते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में भी, यदि उपर्युक्त शर्तों को पूरा किया जाता है, तो याचिकाकर्ता(गण) के विरुद्ध एफआईआर का निपटारा किया जाएगा।

23. संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि निचली अदालत द्वारा अपराध को कम करने से केवल वे मामले शामिल होंगे जो "पहली श्रेणी" की श्रेणियों ए, बी और सी के अंतर्गत आते हैं।

24. अब उन मामलों से निपट रहे हैं जिनमें खनन विभाग द्वारा वाहनों को जब्त किया गया है यानी "दूसरी श्रेणी"। दूसरी श्रेणी के मामलों के लिए प्रस्तुत होने वाले अधिवक्ताओं ने पहली श्रेणी के समान आदेश के लिए सहमति व्यक्त की है।

25. *राजस्थान सरकार और अन्य बनाम जगदीश प्रसाद: एसएलपी (सीआरएल) संख्या 106-107/2021* और अन्य संबंधित मामले, में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लेख करना उचित है, जिसमें यह देखा गया कि खनन विभाग द्वारा जिन मामलों में वाहनों को जब्त किया गया है, उन्हें खनन अधिनियम और नियमों के अनुसार निपटाया जाना है, जिसका अर्थ है कि खनन विभाग अपराध को संयोजित करने और कंपाउंडिंग शुल्क प्राप्त करने के बाद वाहनों को छोड़ने के लिए सक्षम है, एनजीटी के निर्देशों के अनुसार खनिज की लागत और जुर्माना लगाया गया।

26. तदनुसार इन याचिकाओं का निपटारा किया जाता है और याचिकाकर्ता खनन विभाग के संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने और एनजीटी के निर्देशों के अनुसार लगाए

गए कंपाउंडिंग शुल्क, खनिज की लागत और जुर्माना जमा करने के बाद और खनन विभाग को एक वचन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद कि भविष्य में वे किसी भी अवैध खनन और/या खनिज के अवैध परिवहन में शामिल नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय कोई भी शर्त लगाता है, वे उसका पालन करेंगे।

27. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि किसी भी याचिका में कार्यवाही/एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध नहीं किया गया है। हालांकि, वादियों के साथ न्याय करने के साथ-साथ गलत करने वालों पर रोक लगाने के लिए ताकि अपराधों की पुनरावृत्ति न हो, यह न्यायालय इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के निपटान के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करना उचित समझता है, जिसके परिणामस्वरूप निचली अदालत के समक्ष लंबित मामलों में वृद्धि होगी।

28. न्यायालय ने दो मामलों को समान मानने के लिए सरकार की सहमति प्राप्त करने और पहली श्रेणी के अपराध के कंपाउंडिंग के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने में महाअधिवक्ता द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार किया। इन मामलों के निपटान के परिणामस्वरूप निचले न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का निपटान भी होगा। वाहनों को छोड़ने के लिए उपर्युक्त शर्तों को लागू करना, जो खनन विभाग द्वारा जारी वाहनों के बराबर है, एक निवारक के रूप में कार्य करेगा और अवैध खनन को रोकेगा।

29. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इन सभी याचिकाओं का निपटान किया जाता है।

30. स्थगन आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

(पंकज भंडारी), न्यायमूर्ति

SUNIL SOLANKI /19

**टिप्पणी:** इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।